

## वर्षा जल संचयन के लिए पहल

### वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) के लिए केंद्र सरकार की पहल



### वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) / छत के शीर्ष वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) अनिवार्य बनाने के लिए विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों / नगर निगमों द्वारा की गई कार्रवाई

क्र.सं.	राज्य / संघशासित प्रदेश	शुरू की गई कार्रवाई की स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश जल, भूमि और वृक्ष अधिनियम, 2002' सभी आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य परिसरों और 200 वर्गमीटर से अधिक के खुले स्थान के लिए नए और मौजूदा निर्माण पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने के लिए अनिवार्य प्रावधानों का निरूपित करता है। निर्धारित अवधि में, असफल होने पर प्राधिकरण ऐसी वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं का निर्माण कर सकता है और लागत को दंड सहित वसूल सकता है।
2	दमन और दीव	दमन म्यूनिसिपल बिल्डिंग मॉडल बाय-कानून और ज़ोनिंग रेगुलेशन, 2002 में भूजल जल के पुनर्भरण के लिए संप वेल निर्माण का प्रावधान है। स्थानीय पीडब्ल्यूडी को आरटीआरडब्ल्यूएच संरचनाओं के निर्माण

		के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका और जिला पंचायत ने पहले ही इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है।
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	संशोधित भवन उप-कानून, 1983 में 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंडों पर नई इमारत में आरटी आरडब्ल्यूएच के अनिवार्य प्रावधान को शामिल करना। निवासी कल्याण संघों / ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली ने भागिदारी अवधारणा में वित्तीय सहायता के लिए एक योजना शुरू की है, जहां वर्षा जल संचयन परियोजना की कुल लागत का 50% (अधिकतम रु 50,000 / -) को अनुदान के रूप में दिया जा रहा है।
4	गोवा	पीडब्ल्यूडी, गोवा को सरकारी भवनों के लिए आरडब्ल्यूएच ढांचे को लेने के लिए कहा गया है। पीडब्ल्यूडी, गोवा अन्य मौजूदा / नई बड़ी सरकारी भवनों को बनाने के लिए छत के शीर्ष आरडब्ल्यूएच के विभिन्न डिजाइनों का अध्ययन कर रहा है।
5	गुजरात	महानगर क्षेत्रों ने नियमों को अधिसूचित कर दिया है जिसके तहत वर्षा जल संचयन संरचना के बिना कोई नई इमारत योजना मंजूर नहीं की जा सकती है। सड़कों और इमारत विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक संस्थानों सहित निर्माणों में पर्याप्त वर्षा जल संचयन सुविधाएं हैं शहरी विकास और शहरी आवास विभाग ने आरडब्ल्यूएच के नियमों को शामिल करने के लिए आवश्यक आदेश गुजरात टाउन प्लानिंग एक्ट, 1976 जारी किए हैं।
6	हरियाणा	हरियाणा नगर भवन के उप-कानून 1982 को संशोधित रूफटॉप आरडब्ल्यूएच के प्रावधान को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है।
7	केरल	सभी नए भवनों के लिए केरल नगर पालिका भवन (संशोधन) नियम, 2004 के अनुसार छत पर आरडब्ल्यूएच अनिवार्य हो गया है।
8	हिमाचल प्रदेश	राज्य के शहरी क्षेत्रों में सभी भवनों के निर्माण के लिए आरडब्ल्यूएच प्रणाली की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है और आरडब्ल्यूएच प्रणाली के बिना कोई भवन योजना चाहे वो स्कूल, सरकारी भवन या विश्राम घर हों मंजूर नहीं की जा सकती है। सभी स्कूलों, सरकारी इमारतों और विश्राम गृह, आगामी उद्योग, बस स्टैंड इत्यादि के लिए आरडब्ल्यूएच प्रणाली का निर्माण भी अनिवार्य कर दिया गया है।
9	कर्नाटक	राज्य ने सभी नए निर्माण में एक आरडब्ल्यूएच नीति अपनाई है। बेंगलुरु सिटी कारपोरेशन ने पहले से ही बिल्डिंग उप-कानून में अनिवार्य आरडब्ल्यूएच शामिल कर लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी सरकारी इमारतों और ग्रामीण स्कूलों में छत के शीर्ष आरडब्ल्यूएच के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी किए हैं। राज्य ने व्यक्तियों को 5 साल की अवधि के लिए कर भुगतान पर 20% छूट की भी सहायता प्रदान की है।
10	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 26.8.2006, ने सभी प्रकार की इमारतों के लिए छत के ऊपर आरडब्ल्यूएच अनिवार्य कर दिया है जिसमें 140 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट आकार है। सरकार ने छत के ऊपर आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना वाले व्यक्तियों को संपत्ति कर में 6% छूट की घोषणा की है।
11	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार "शिवकालीन पानी भंडारण योजना" के तहत आरटी-आरडब्ल्यूएच को बढ़ावा दे रही है। यह मुहैया कराता है कि सभी घरों में वर्षा जल संचयन के लिए प्रावधान होना चाहिए जिसके बिना घर

		निर्माण योजना को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। बॉम्बे नगर निगम और पिंपरी - चिंचवाड़ नगर निगम ने उप-कानूनों के द्वारा आरडब्ल्यूएच को अनिवार्य बनाया है।
12	मेघालय	राज्य सरकार आरडब्ल्यूएच के लिए एक प्राधिकरण के गठन पर विचार कर रही है।
13	नागालैंड	राज्य सरकार ने सभी सरकारी इमारतों के लिए आरडब्ल्यूएच को अनिवार्य कर दिया है।
14	पुडुचेरी	निर्माण डिजाइनों में आरडब्ल्यूएच के प्रावधान के अधीन नए निर्माणों को स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। पीडब्ल्यूडी, पांडिचेरी ने 2002 से सरकारी भवनों में छत के शीर्ष आरडब्ल्यूएच संरचनाओं का निर्माण शुरू कर दिया है। यूटी प्रशासन ने सभी नए निर्माणों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली की स्थापना के लिए नियम बनाये हैं।
15	राजस्थान	रूफ टॉप आरडब्ल्यूएच को राज्य स्वामित्व वाले भूखंड जिनका आकार 300 वर्ग मीटर से अधिक है उन इमारतों में अनिवार्य कर दिया गया है। 03.01.2006 से प्रभावी के साथ उप-नियमों के निर्माण के उल्लंघन के लिए, दंडात्मक उपाय, जैसे पानी की आपूर्ति का वियोग भी किया गया है। सरकार ने सभी नए और मौजूदा निर्माण भवन और सरकार में वर्षा जल संचयन प्रणाली की अनिवार्य स्थापना का प्रावधान किया है। कार्यालय 31.05.2000 और 12.12.2005 के आदेश के अनुसार राज्य सरकार आर.डब्ल्यूएच के नगर निगम अधिनियम बनाने के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए भी विचार कर रही है।
16	तमिलनाडु	2003 के अधिसूचना सं 4 के अनुसार, नगर निगमों और नगरपालिकाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन किया गया है ताकि सभी मौजूदा और नई इमारतों को आरडब्ल्यूएच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। राज्य ने सरकारी भवनों, निजी घरों / संस्थानों और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक भवनों में बड़े पैमाने पर आरडब्ल्यूएच योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। राज्य सरकार ने आरटी -आरडब्ल्यूएच में शत प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है।
17	उत्तर प्रदेश	संयुक्त आरडब्ल्यूएच / रिचार्जिंग सिस्टम के लिए पाइप के अलग नेटवर्क के प्रावधानों के साथ सभी उपयोगों, समूह आवास योजनाओं के सभी नए आवास योजनाओं / भूखंडों / इमारतों में अनिवार्य स्थापना के लिए अनिवार्य नियम तैयार किए गए हैं। 100-200 वर्ग मीटर के भूखंडों के लिए रूफ टॉप आरडब्ल्यूएच को अनिवार्य बनाया गया है। सरकारी इमारतों (नए एवं पुराने दोनों में), आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है।
18	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल नगर निगम (बिल्डिंग) नियम, 2007 के नियम 171 के अनुसार, आरडब्ल्यूएच प्रणाली की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है।
19	अरुणाचल प्रदेश	सरकारी भवनों में अनिवार्य रूप से आरडब्ल्यूएच के लिए प्रावधान रखने के लिए निर्माण उप-नियम तैयार किए जा रहे हैं।
20	पंजाब	200 वर्ग यार्ड के सभी भवनों में आरडब्ल्यूएच सिस्टम अनिवार्य बनाने के लिए उप नियम बनाए गए हैं। पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (पुडा) इस प्रणाली को अनिवार्य बनाने के लिए पुडा (बिल्डिंग) नियम 1996 में संशोधन की प्रक्रिया में है। लुधियाना और जालंधर नगर निगम ने नई इमारतों में आरडब्ल्यूएच को अनिवार्य बनाने के लिए उप-नियम तैयार किए हैं।
21	झारखंड	राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सरकारी / सार्वजनिक इमारतों में आरटी-आरडब्ल्यूएच संरचनाओं के निर्माण के लिए कार्यवाही शुरू की है। भू-जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण के बारे में जागरूकता के लिए

		एक प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है जिसमें 25000 / - का अनुदान कृत्रिम रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण के लिए दिया जा सकता है। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (झारखंड) ने आरडब्ल्यूएच के लिए निर्माण उप-नियम बनाए हैं।
22	उत्तराखंड	उत्तराखंड सरकार (आवास एवं शहरी विकास) ने आरडब्ल्यूएच प्रणाली की अनिवार्य स्थापना के लिए नियम बनाये और 15.11.2003 के आदेश के अनुसार उप-नियमों को अपनाने के लिए निर्देश दिये। तदनुसार, सभी विकास प्राधिकरणों ने प्रचलित सदन बिल्डिंग और विकास उप-नियमों / विनियमों में आंशिक संशोधन किए थे।
23	त्रिपुरा	त्रिपुरा बिल्डिंग नियम, 2004 के नियम -110 के अनुसार, 300 वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट क्षेत्र के सभी नए भवन एवं किसी भी आकार के समूह आवास के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य है।
24	बिहार	"बिहार ग्राउंड वॉटर (विनियमन और विकास और प्रबंधन का नियंत्रण) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है जो 1000 वर्ग मीटर से बड़े भवन के निर्माण योजना में आरटी-आरडब्ल्यूएच संरचनाओं को अनिवार्यता प्रदान करता है।
25	चंडीगढ़	परियोजना क्षेत्रों में जमीन के पानी की निकासी के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता वाले उप-नियम मौजूद हैं। यह प्रावधान किया गया है कि सभी परियोजनाएं आरडब्ल्यूएच के लिए प्रावधान शामिल करेगी।

अगला अध्याय >>  
स्टोर करने योग्य बारिश की मात्रा